प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक– 156/नि0शा0/2021–22 दिनांक– 28 जनवरी, 2022

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0 एस0वाई0) (के36/रा024/लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में अनुसूचित जातियों हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 304.92 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1/2022/14/सत्रह–म–2022–17–1002 (099) /4/2021 दिनांक 27.01.2022, (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में अनुसूचित जातियों हेतु शासन द्वारा मात्र केन्द्रांश रू0 304.92 लाख (रू0 तीन करोड़ चार लाख बानवे हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 3/2021/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22–3–2021, पत्र संख्या 1/2020/बी–1–149–दस–2020–231/2020 दिनांक 24–3–2020, पत्र संख्या 4/2020/बी–1–192/दस–2020–231/2020 दिनांक 07–04–2020, पत्र संख्या–5/2020/बी–1–196 /दस–2020–231/2020 दिनांक 11–04–2020 पत्र संख्या 6/2020/बी–1–218/दस–2020–231/2020 दिनांक 18–05–2020 शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2021 के प्रस्तर–3(II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए

तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– उक्त शर्तों के साथ ही मात्र केन्द्रांश रू0 304.92 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–83 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/लाभार्थी–40,के0+रा0),20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

16– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– **147** पर अंकित है।

भवदीया,

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
4. उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5. गार्ड फाइल।
6. वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक– /नि0शा0/2021–22 दिनांक– 28 जनवरी, 2022

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में अनुसूचित जातियों हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 304.92 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1/2022/14/सत्रह–म–2022–17–1002 (099) /4/2021 दिनांक 27.01.2022, (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में अनुसूचित जातियों हेतु शासन द्वारा मात्र केन्द्रांश रू0 304.92 लाख (रू0 तीन करोड़ चार लाख बानवे हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 3/2021/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22–3–2021, पत्र संख्या 1/2020/बी–1–149–दस–2020–231/2020 दिनांक 24–3–2020, पत्र संख्या 4/2020/बी–1–192/दस–2020–231/2020 दिनांक 07–04–2020, पत्र संख्या–5/2020/बी–1–196 /दस–2020–231/2020 दिनांक 11–04–2020 पत्र संख्या 6/2020/बी–1–218/दस–2020–231/2020 दिनांक 18–05–2020 शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2021 के प्रस्तर–3(।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए

तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– उक्त शर्तों के साथ ही मात्र केन्द्रांश रू0 304.92 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–83 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/लाभार्थी–40,के0+रा0),20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

16– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– **147** पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 156 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
4. उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5. गार्ड फाइल।
6. वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-27/01/2022

प्रेषण संख्या:- 1

आवंटन आदेश संख्या:- 001-LARGE RAS BIOFALAK ALLOTMENT SC 27-1-2022

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 -

03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 2121420	1800000 2121420
2	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1800000 1800000	1800000 1800000
3	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 2548800	1800000 2548800
4	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	1800000 6466080	1800000 6466080
5	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 7586220	1800000 7586220
6	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3600000 7076140	3600000 7076140
7	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 7518000	1800000 7518000
	योग	वर्तमान प्रगामी	14400000 35116660	14400000 35116660

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ चौवालीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ इक्यावन लाख सोलह हजार छ: सौ साठ

[illegible]
(पूजा [illegible])
प्र. वित्त एवं लेखाधिकारी

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-27/01/2022

प्रेषण संख्या:-	1
आवंटन आदेश संख्या:-	001-MEDIUM RAS BIOFLAK ALLOTMENT SC 27-1-2022
अनुदान संख्या:-	83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप - निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	900000 1806000	900000 1806000
2	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	900000 1292940	900000 1292940
3	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 8876140	1800000 8876140
4	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	900000 900000	900000 900000
	योग	वर्तमान प्रगामी	4500000 12875080	4500000 12875080

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पैंतालीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ अठाईस लाख पचहत्तर हजार अस्सी

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-27/01/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-INSULATED REF VAN ALLOTMENT SC 27-1-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	**अधिकारी/जनपद का नाम**		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	**योग**
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 2740800	720000 2740800
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	720000 2076600	720000 2076600
3	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 6459800	720000 6459800
4	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 8306220	720000 8306220
5	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 744000	720000 744000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3600000 20327420	3600000 20327420

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छत्तीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ तीन लाख सताइस हजार चार सौ बीस

(पूजा [illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-27/01/2022

प्रेषण संख्या:-	1
आवंटन आदेश संख्या:-	001-THREE WHEELER WITH ICE BOX SC 27-1-2022
अनुदान संख्या:-	83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	324000 6783800	324000 6783800
2	गौतमबुद्ध नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	108000 378000	108000 378000
	योग	वर्तमान प्रगामी	432000 7161800	432000 7161800

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार लाख बत्तीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इकत्तर लाख इकसठ हजार आठ सौ

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-27/01/2022

प्रेषण संख्या:-	1
आवंटन आदेश संख्या:-	001-LIVE FISH VENDING CENTER SC 27-1-2022
अनुदान संख्या:-	83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय) 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01 - 03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.-रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 2652000	720000 2652000
2	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1440000 3174000	1440000 3174000
3	गौतमबुद्ध नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 1098000	720000 1098000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2880000 6924000	2880000 6924000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठाईस लाख अस्सी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उनहत्तर लाख चौबीस हजार

(पूजा रा[illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-27/01/2022

प्रेषण संख्या:-	1
आवंटन आदेश संख्या:-	001-SMALL FEED MIL ALLOTMENT SC 27-1-2022
अनुदान संख्या:-	83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय) 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01 - 03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 4827000	1080000 4827000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1080000 4827000	1080000 4827000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस लाख अस्सी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अइतालीस लाख सत्ताइस हजार

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022

आवंटन दिनांक-27/01/2022

प्रेषण संख्या:- 1

आवंटन आदेश संख्या:- 001-MEDIUM FEED MIL SC ALLOTMENT 27-1-2022

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 -

03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3600000 7318800	3600000 7318800
	योग	वर्तमान प्रगामी	3600000 7318800	3600000 7318800

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छत्तीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तिहत्तर लाख अठारह हजार आठ सौ

(पूजा [illegible])

वित्त एवं लेखाधिकारी

25

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21

वृहद आर0ए0एस0 / वृहद वायोफलाक / Rs. 50.0 lacs/unit

अनु0 जाति लाभार्थी									
कम	जनपद	संख्या	धनराशि /टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रस्तावित अवमुंक्त अनुदान 100 प्रतिशत		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	फिरोजाबाद	2	100.00	60.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00
2	मऊ	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00
3	गोरखपुर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00
4	बाराबंकी	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00
5	बुलन्दशहर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00
6	लखीमपुरखीरी	1	50.00	30.000	18.000	12.000	18.00	12.00	18.00
7	सोनभद्र	1	50.00	30.000	18.000	12.000	18.00	12.00	18.00
	प्रदेश योग	**8**	**400.00**	**240.00**	**144.00**	**96.00**	**144.00**	**96.00**	**144.00**

27/01/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21

मध्याकार आर0ए0एस0 / मध्याकार वायोफलाक / Rs. 25 .0 lacs/unit

अनु0 जाति लाभार्थी

कम	जनपद	संख्या	धनराशि /टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान 100 प्रतिशत		कुल अवमुक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	केन्द्राश	राज्यांश	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	फिरोजाबाद	2	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00
2	महोबा	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00
3	लखनऊ	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00
4	रायबरेली	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00
	प्रदेश योग	**5**	**125.00**	**75.00**	**45.00**	**30.00**	**45.00**	**30.00**	**45.00**

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21

इन्सुलेटिड/रेफीजेरेटर वैन / Rs. 20.0 lacs/unit **Annexure-**

अनु0 जाति लाभार्थी

कम	जनपद	संख्या	धनराशि /टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रस्तावित अवमुंक्त अनुदान 100 प्रतिशत		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	केन्द्राश	राज्यांश	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	आगरा	1	20.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	7.20
2	मऊ	1	20.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	7.20
3	कौशम्बी	1	20.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	7.20
4	मेरठ	1	20.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	7.20
.5	हापुड़	1	20.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	7.20
	प्रदेश योग	**5**	**100.00**	**60.00**	**36.00**	**24.00**	**36.00**	**24.00**	**36.00**

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21

थ्री व्हीलर विथ आइस बॉक्स / Rs. 3.0 lacs/unit cost Annexure-11

अनु0 जाति लाभार्थी

कम	जनपद	संख्या	धनराशि /टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान 100 प्रतिशत		कुल अवमुक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रु लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	3	9.00	5.40	3.24	2.16	3.24	2.16	3.24
2	गौतमबुद्वनगर	1	3.00	1.80	1.08	0.72	1.08	0.72	1.08
	प्रदेश. योग	**4**	**12.00**	**7.20**	**4.32**	**2.88**	**4.32**	**2.88**	**4.32**

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21

लाईव फिश वेन्डिंग सेन्टर / Rs. 20.00 lacs/unit

अनु0 जाति लाभार्थी

कम	जनपद	संख्या	धनराशि /टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कासगंज	1	20.00	12.00	7.20	4.80	7.20
2	प्रयागराज	2	40.00	24.00	14.40	9.60	14.40
3	गौतमबुद्धनगर	1	20.00	12.00	7.20	4.80	7.20
	प्रदेश योग	**4**	**80.00**	**48.00**	**28.80**	**19.20**	**28.80**

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21							
क्रमांक	जनपद	लघु फीड मिल / **Rs. 30.0 lacs/unit**					
		अनु0 जाति लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि/टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हरदोई	1	30.00	18.00	10.80	7.20	10.80

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21							
क्रमांक	जनपद	मध्याकार फीड मिल / **Rs. 100.00 lacs/unit**					
		अनु0 जाति लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ललितपुर	1	100.00	60.00	36.00	24.00	**36.00**

संख्या: 1 /2022/14/सपाद-म-2022-17-1002(099)/4/2021

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 27 जनवरी, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21(कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 304.92 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17/नि0शा0/2021-22/16-19(6) दिनांक 05 जनवरी, 2022 एवं तत्क्रम में पत्र संख्या-22/नि0शा0/2021-22/16-19(6) दिनांक 07 जनवरी, 2022 द्वारा प्रेषित संशोधित प्रस्ताव का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिये अवमुक्त केन्द्रांश रू0 306.215 लाख के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु प्रावधानित बजट रू0 1851.97 लाख में से अवशेष धनराशि के अन्तर्गत रू0 508.20 लाख (केन्द्रांश रू0 304.92 लाख + मैचिंग राज्यांश रू0 203.28 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) के सापेक्ष प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति मद हेतु भारत सरकार के पत्रांक W-11011/8/2020-Fy दिनांक 30.12.2021 द्वारा केन्द्रांश धनराशि रू0 306.215 लाख अवमुक्त की गयी है। आय-व्ययक 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्रश्नगत योजना में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु कुल रू0 1851.97 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु प्रावधानित बजट रू0 1851.97 लाख में उपलब्ध अवशेष धनराशि की सीमान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत मद में अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0 306.215 लाख के सापेक्ष वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत सर्वप्रथम मात्र केन्द्रांश रू0 304.92 लाख (रू0 तीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करोड चार लाख बानबे हजार मात्र) की धनराशि को निम्न तालिकानुसार 07 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

(इकाई रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम/ वित्त पोषण (के036+रा024+ला0-40,के0+रा0)	इकाई (हे0/ सं0)	ईकाई लागत	कुल परियोजना लागत	वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनावार प्रस्ताव			द्वितीय किश्त के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष निर्गत होने वाली मात्र केन्द्रांश धनराशि	
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	केन्द्रांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वृहद आर0ए0एस0/ बायोफ्लाक का निर्माण	21	50.00	1050.00	378.00	252.00	420.00	144.00	144.00
2	मध्यमाकार आर0ए0 एस0/ बायोफ्लाक का निर्माण	6	25.00	150.00	54.00	36.00	60.00	45.00	45.00
3	इनसुलेटेड वाहन	7	20.00	140.00	50.40	33.60	56.00	36.00	36.00
4	थ्री व्हीलर विद आइसबाक्स	11	3.00	33.00	11.88	7.92	13.20	4.32	4.32
5	जीवित मत्स्य विक्रय केन्द्र	6	20.00	120.00	43.20	28.80	48.00	28.80	28.80
6	लघु मिलों की स्थापना (उत्पादन क्षमता 2 टन/दिन)	4	30.00	120.00	43.20	28.80	48.00	10.80	10.80
7	मध्यमाकार मिलों की स्थापना (उत्पादन क्षमता 8 टन/दिन)	1	100.0	100.00	36.00	24.00	40.00	36.00	36.00
	कुल योग							304.92	304.92

(रू0 तीन करोड़ चार लाख बानबे हजार मात्र)

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 30.12.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्हीं परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगें, जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन / संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3)

(4) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के नियंत्रण पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जायें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के नियंत्रण पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(5) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल अवश्यकता होने पर ही किया गया है।

(6) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(7) संभावित व्यय को एकमुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(14) आँकडो की शुद्धता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(15) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(17) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(18) निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(20) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त शर्तो के साथ ही साथ मात्र केन्द्रांश रू0 304.92 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है | अतः कृपया निदेशक मत्स्य व सम्बंधित अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा ।

5- वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्बंधित जनपदों को परियोजनाओं के सापेक्ष निर्गत किये जाने वाली धनराशि व तत्सम्बन्धी जनपदों का निर्धारण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों व गाइड लाइन्स के अनुसार निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

6- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के036/रा024/लाभार्थी-40,के0+रा0)20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर/अशासकीय संख्या- ई-1-3504-दस-2021-2022 दिनांक-19.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by कृपा शंकर यादव

Date: 27-01-2022 12:16:34

उप सचिव।

Reason: Approved

संख्या: 1 /2022/14(1)/सत्रह-म-2022तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
9- गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।